

**विद्युत लोकपाल**  
**मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग**  
पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

**प्रकरण क्रमांक L0030913**

श्रीमती रजनी साहू पत्नी स्व. रमेश कुमार साहू  
पुरानी गल्लामंडी नौगांव,  
ओमदालमील नगर पालिका के सामने,  
नौगांव, जिला – छतरपुर (म.प्र.)  
पिन कोड – 480661

– आवेदक

**विरुद्ध**

कार्यपालन यंत्री (संचा/संधा) संभाग,  
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,  
छतरपुर (म.प्र.)  
पिन कोड – 471405

– अनावेदकगण

सहायक यंत्री (शहर),  
म0प्र0पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि0,  
नौगांव, जिला – छतरपुर (म.प्र.)  
पिन कोड – 480661

**आदेश**

**(दिनांक 07.02.2014 को पारित)**

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर के शिकायत प्रकरण क्रमांक 466/2012 श्रीमती रजनी साहू विरुद्ध कार्यपालन यंत्री तथा अन्य एक में पारित आदेश दिनांक 31.01.13 के विरुद्ध यह अभ्यावेदन उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत किया गया है ।
2. उपभोक्ता ने फोरम के समक्ष कई तथ्यों का विवरण देते हुए यह अनुतोष चाहा था कि दिनांक 03.04.2005 से दिनांक 31.05.11 तक उसने कुल रू. 124000/- जमा किए थे, जिन्हें ब्याज सहित वापस दिलाए जाए और उक्त अवधि में भ्रष्टाचार के लिए अमानवीय तरीके से उसे, उसके मानसिक और आर्थिक शोषण किया गया था इसके लिए उसे आर्थिक क्षतिपूर्ति दिलाई जाए ।

3. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर ने यह निष्कर्ष दिया था कि उपभोक्ता की शिकायत का संबंध भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 126 एवं धारा 135 से संबंधित है जिनके संबंध में फोरम को निर्णय लेने का वैधानिक अधिकार नहीं है ।
4. फोरम के उक्त आदेश के विरुद्ध उपभोक्ता ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था और यह अनुतोष चाहा था कि अनावेदक कम्पनी के अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार के लिए फर्जी एवं अस्थायी बिजली के बिल बनाकर उसे जेल भेजने की धमकी दी जाती है, आंकलित खपत के बिल नियम विरुद्ध जारी किए जाते हैं, अतः ऐसी कार्यवाही में लिप्त दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को उचित सजा दिलाई जाए ।
5. उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदन-पत्र प्रस्तुत होने पर उपभोक्ता की वास्तविक शिकायत को समझने और उसका निराकरण किए जाने का प्रयास किया गया । आदेश पत्र में पारित आदेश दिनांक 17.12.13 के अनुसार अनावेदक के अधिकारी श्री वी.डी. पाण्डे, कार्यपालन यंत्री को यह निर्देश दिया गया कि वह उपभोक्ता की शिकायत के संदर्भ में क्रमबद्ध जानकारी प्रस्तुत करें, जिससे उपभोक्ता की शिकायत का निराकरण किया जा सकें ।
6. दिनांक 01.02.2014 को अनावेदक की ओर से लिखित रूप से क्रमबद्ध जानकारी प्रस्तुत की गई, जिसकी प्रति उपभोक्ता की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि को दी गई ।
7. अनावेदक कम्पनी के उत्तरदायी अधिकारी की ओर से जो जानकारी लिखित रूप में प्रस्तुत की गई है उसका अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि दिनांक 12.06.2004 को उपभोक्ता को 10 हार्स पावर का औद्योगिक कनेक्शन दिया गया था । उक्त कनेक्शन लेने के बाद उपभोक्ता द्वारा देयक जमा न करने पर कई बार उसके कनेक्शन अस्थायी रूप से विच्छेदित किए गए । उपभोक्ता द्वारा आंशिक राशि जमा करने पर पुनः कनेक्शन उसके निवेदन पर प्रारंभ किए गए । लिखित जानकारी के साथ जो सूची प्रस्तुत की गई है, उसका अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि उपभोक्ता द्वारा विद्युत देयकों का भुगतान न करने पर जनवरी, 2005 में पहली बार उसका अस्थायी विद्युत विच्छेदन किया गया था । उपभोक्ता द्वारा कभी भी लगातार बिल का भुगतान नहीं किया गया है । बीच-बीच की समयवधि में उसके द्वारा देयकों का भुगतान किया जाता था । अनावेदक कम्पनी द्वारा उसको भुगतान किस्तों में अदा करने की सुविधा भी प्रदान की गई थी, परन्तु उक्तानुसार भी उपभोक्ता द्वारा पूरा पैसा जमा नहीं किया गया था । उपभोक्ता के

द्वारा जो राशि देय थी और जो राशि उसके द्वारा अदा की गई थी उसका हिसाब करने पर उपभोक्ता पर 45995/- रु. बकाया है जो उपभोक्ता द्वारा देय है ।

8. अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी की ओर से जो जानकारी लिखित में प्रस्तुत की गई है उसका अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि अनावेदक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय करने में ऐसी कोई अनियमितता या अवैधता किया जाना परिलक्षित नहीं होता है । प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए उपभोक्ता को किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान किए जाने का आधार नहीं पाया जाता है, अतः उपभोक्ता का अभ्यावेदन निरस्त किया जाता है ।

9. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

**विद्युत लोकपाल**

**प्रतिलिपि :**

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदकगण की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

**विद्युत लोकपाल**